



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 5]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

फा. सं. इंफ्रा/पीएनजीआरबी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2015.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 में,—

- (क) परिशिष्ट I, क्रमांक 9, "महत्वपूर्ण अवसंरचना/कार्यकलाप/प्रक्रियाएं", शीर्षक के तहत "बंद जगह के जरिए पर्यावरणीय अनुकूल अग्निशमन फ्लडिंग सिस्टम लगाना।" लाइन के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"बंद जगह के लिए पर्यावरणीय अनुकूल अग्निशमन सिस्टम लगाना।"

- (ख) अनुसूची-1घ, में "स्टील पाइप" शीर्षक के तहत उप शीर्षक "अभिकल्प कारक (च) और स्थल वर्ग", पैरा 2, "एनपीएस 4"....." से आरम्भ और "..... मोटाई 6.4 मी.मी. होनी चाहिए।" की समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित को पैरा के रूप में जोड़ा जाएगा, नामतः-

"पाइप का आकार 4 इंच और उससे अधिक के लिए सभी मौजूदा मामलों में जहां पाइप की मोटाई का आकार 6.4 मी. मी. से कम है, मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और जोखिम का स्तर यथोचित संभव कम से कम हो जाएगा (एएलएआरपी)।";

- (ग) अनुसूची- 1घ में शीर्षक "स्टील पाइप" के पश्चात् और शीर्षक "पाइपलाइन स्थापना का स्थल और रूपरेखा", से पूर्व निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः—

"प्लास्टिक पाइप और घटक

आईएस 14885 या आईएसओ 4437 के अनुसार प्लास्टिक पाइप के लिए आवश्यकताएं।

- पीई पाइपलाइन नेटवर्क में दबाव 7 केजी/सीएम² से अधिक नहीं होगा।
 - पीई पाइप वर्ग 3 और वर्ग 4 स्थानों में बिछाया जाएगा।
 - पीई पाइपलाइन पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम 2008 के सभी प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार बिछाई जाएगी।
 - दोनों विष्टियों में स्पष्ट बैटरी की सीमा के सीमांकन में परिवर्तन अभिकल्प /निर्माण चरण के दौरान किया जाएगा।
 - सामग्री आईएस 14885 या आईएसओ 4437 अथवा एएसटीएम डी2513-14ड1 की पुष्टि करती हो। फिटिंग्स आईएसओ 8085 भाग 3 के अनुसार होगी।";
- (घ) अनुसूची-1घ में, "पाइपलाइन प्रणाली और घटक" उप शीर्षक "अन्य आवश्यकताएं" के पैरा 4 के आरम्भ "पर्यावरण अनुकूल फ्लडिंग" और..... " न हो, तभी किया जाना चाहिए", से समाप्त को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"नियंत्रण कक्ष, स्विच गियर और बैटरी रूम, कंप्रेसर स्टेशन के कम्प्यूटर कक्ष, टर्मिनल स्टेशन, वितरण, सुपुर्दगी या टैप ऑफ स्टेशनों के लिए पर्यावरण अनुकूल अग्निशामक प्रणाली पर विचार किया जाएगा।";

- (ड.) अनुसूची-1 घ में "निर्माण के बाद परीक्षण" के उप शीर्षक "परीक्षण दबाव और अवधि",

"तालिका-5: में न्यूनतम परीक्षण दबाव"

स्थल वर्ग	अपेक्षित दबाव
1	1.25x अभिकल्प दबाव
2	1.25x अभिकल्प दबाव
3	1.40x अभिकल्प दबाव
4	1.40x अभिकल्प दबाव

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"तालिका-5: न्यूनतम परीक्षण दबाव"

स्थल वर्ग	अपेक्षित दबाव
1	1.25x अभिकल्प दबाव
2	1.25x अभिकल्प दबाव
3	1.50x अभिकल्प दबाव
4	1.50x अभिकल्प दबाव

- (च) अनुसूची- 1घ में, "निर्माण के बाद परीक्षण" उप शीर्षक "भूमि से ऊपर स्टेशन पाइप" के अंतर्गत "स्टेशन पाइपिंग की 1.4 बार अभिकल्प दबाव के न्यूनतम परीक्षण दाब पर जांच की जानी चाहिए।", शब्दों के लिए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"स्टेशन पाइपिंग न्यूनतम परीक्षण दबाव के 1.5 गुना डिजाइन दाब में परीक्षण किया जाएगा।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./378/17]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 808(अ), दिनांक 11/11/2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और फा. सं. आरइजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 दिनांक 03/09/2012, फा. सं. आरइजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 दिनांक 14/03/2014 तथा फा. संख्या एल- मिस./VI/1/2007 दिनांक 01/01/2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2018

F. No. INFRA/PNGRB/T4S/NGPL/I/2015.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, namely:—

1. **Short title and commencement:**—

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009,—

- (i) in Appendix I, serial number 9, under the heading "Critical Infrastructure/Activity/Processes", for the line "Environmental friendly fire extinguishing flooding system for closed space.", the following shall be substituted, namely :-

"Environmental friendly fire extinguishing system for closed space.";

- (ii) in Schedule 1D, under the heading "STEEL PIPE", under the sub-heading "Design Factor (f) and Location Classes", after the para 2 beginning with "The minimum wall thickness...." and ending with "....shall be 6.4 mm.", the following para shall be added, namely :—

"In all existing cases where thickness of pipe is less than 6.4 mm for pipe size 4 inch and above, Quantitative Risk Assessment shall be carried out and the risk level shall be reduced to as low as reasonably possible (ALARP).";

- (iii) in Schedule 1D, after the heading "STEEL PIPE" and before the heading "LOCATON AND LAYOUT OF PIPELINE INSTALLATIONS", the following shall be added, namely :—

"PLASTIC PIPES AND COMPONENTS

Requirements for use of Plastic pipes as per IS 14885 or ISO 4437.

- i. The pressure shall not exceed 7 kg/cm² in the PE pipeline network.
- ii. PE pipes shall be laid only in class 3 and class 4 locations.

- iii. The PE pipeline shall be laid complying with all the provisions of the PNGRB (Technical standards and specifications including safety standards for City or local gas distribution network) Regulations, 2008.
- iv. Clear battery limit demarcation of both spec. changes shall be done during design/construction stage.
- v. The material shall conform to IS 14885 or ISO 4437 or ASTM D2513-14e1. The fittings shall as per ISO 8085 Part 3.”;
- (iv) in Schedule 1D, under the heading “PIPELINE SYSTEM AND COMPONENT”, under the sub-heading “Other requirements”, for para 4, beginning with “Environment friendly Flooding....” and ending with “...no manning the enclosure.”, the following shall be substituted, namely :-
- “Environmental friendly fire extinguishing system shall be considered for control rooms, switch gear and battery room, computer rooms of compressor station, terminal station, delivery or tap off stations.”;
- (v) in Schedule 1D, under the heading “TESTING AFTER CONSTRUCTION”, for the sub-heading “Test Pressure and Duration”, in

“Table 5: Minimum Test Pressure”.

Location Class	Pressure Requirement
1	1.25x Design Pressure
2	1.25x Design Pressure
3	1.40x Design Pressure
4	1.40x Design Pressure

the following shall be substituted, namely :—

Table 5: Minimum Test Pressure

Location Class	Pressure Requirement
1	1.25x Design Pressure
2	1.25x Design Pressure
3	1.50x Design Pressure
4	1.50x Design Pressure

- (vi) in Schedule 1D, under the heading “TESTING AFTER CONSTRUCTION”, under the sub-heading, “Above Ground Station Piping”, for the words “Station piping shall be tested at minimum test pressure of 1.4 times the design pressure.”, the following shall be substituted, namely :-

“Station piping shall be tested at minimum test pressure of 1.5 times the design pressure.”.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./378/17]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 808(E), dated 11.11.2009 and amended *vide* F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012 dated 03.09.2012, F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012, dated 14.03.2014, F. No. L-MISC/VI/1/2007, dated 01.01.2015